फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना, जिला अनूपगढ़

राजकुमार वगैरा बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –251–क

प्रा0 पत्र संख्या :– 264 / 2023

GCMS संख्या :– 2023 /

26.12.2023 प्रार्थीगण राजकुमार पुत्र पुन्नुराम व चांद सोनी पत्नी राजकुमार जाति सुनार साकिन महताब कॉलोनी घड़साना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 मु0 नं0 4 की 3.922 है0 भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त कर चालू रास्ता को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र तहसील घड़साना से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2023/2310 दिनांक 12.10.2023 के अनुसार चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 के किला नं0 5/2 की 0.013, 5/3 की 0.063, 6/1 का 0.228, 6/2 की 0.025, 7/3 की 0.190, 14 की 0.253, 15/1 की 0.228, 15/2 की 0.025, 16/1 की 0.228, 16/2 की 0.025, 17 की 0.253, 24/2 की 0.215, 25/1 की 0.025, 25/3 की 0.190 कुल 1.961 है0 कमाण्ड मय खाला राजकुमार पुत्र पुन्नुराम खातेदार एवं किला नं0 7/4 की 0.025,8/1 की 0.076, 11/2 की 0.076, 12/2 की 0.202, 13/1 की 0.215, 18/1 की 0.215, 19 व 20 की 0.506, 21/2 की 0.228, 22/2 की 0.228, 23/3 की 0.190 कुल 1.961 है0 कमाण्ड मय खाला रकबा चांद सोनी पत्नी राजकुमार जाति सोनी साकिन महताब कॉलोनी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 7 जीडी–बी का प0 नं0 5/60 के किला नं0 21/1 का 0.025, 22/1 की 0.025, 23/1 की 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता खेत व प0 नं0 5/60 का किला नं0 8/2 का 0.013, 13/2 की 0.038, 18/2 का 0.038, 23/2 का 0.038, 24/1 का 0.038, 25/2 का 0.038 कुल 0.203 गै0मु0 रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

गांव दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा प्रार्थीगण द्वारा ना0सं0 73 दिनांक 07.07.2020 से खरीदशुदा है। प्रार्थी द्वारा निरस्त चाहा गया रास्ता चक 7 जीडी–बी का प0 नं0 5/60 के किला नं0 8/2 का 0.013, 13/2 का 0.038, 18/2 का 0.038, 23/2 का 0.038 रकबा प्रार्थीगण के रकबा खरीद से पूर्व से उक्त रास्ता रिकॉर्ड में चला आ रहा है। मौके पर उक्त रास्ता बन्द है। चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 का किला नं0 11, 20, 21 में रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थीगण मौके पर चालू रास्ता को स्वीकृत व रिकॉर्ड में स्वीकृत रास्ता किला नं0 8/2, 13/2, 18/2, 23/2 को निरस्त करवाना चाहते है। मुताबिक रिकॉर्ड कोई विवाद/स्थगन नहीं है। अतः नियमानुसार उक्त रास्ता स्वीकृत व निरस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 के किला नं0 8/2 का 0.013, 13/2 का 0.038, 18/2 की 0.038, 23/2 की 0.038 जो राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत है तथा मौका पर बन्द है। प्रार्थीगण द्वारा इस स्वीकृत शुदा रास्ता को निरस्त करवाकर मौका पर प0 नं0 5/60 के किला नं0 11, 20, 21 में चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत एवं निरस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार घड़साना की रिपोर्ट एवं मौका नक्शा का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि के बीच में चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 के किला नं0 8/2 की 0.013, 13/2 की 0.038, 18/2 की 0.038, 23/2 की 0.025 है0 भूमि गै0मु0रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रास्ता मौका पर बन्द है इस रास्ता की बजाय प्रार्थीगण की भूमि के पत्थर लाईन के किला नं0 11, 20, 21 में मौका पर रास्ता चालू है। प्रार्थीगण उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करवाकर मौका पर चालू रास्ता को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भी स्वीकृत शुदा रास्ता को निरस्त किया जाकर मौका पर चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व

प्रखण्ड अधिकारी
घड़साना

रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 के किला नं0 8/2 की 0.013, 13/2 की 0.038, 18/2 की 0.038, 23/2 की 0.025 है0 भूमि के रास्ता को निरस्त कर आराजीराज दर्ज किया जाकर मौका पर इसी प0 नं0 5/60 के किला नं0 11 की 0.004, 20 की 0.025, 21 की 0.025 है0 भूमि पर चालू रास्ता को रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 जीडी–बी के प0 नं0 5/60 के किला नं0 8/2 की 0.013, 13/2 की 0.038, 18/2 की 0.038, 23/2 की 0.025 है0 स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त कर आराजीराज दर्ज जावे एवं इसी प0 नं0 5/60 के किला नं0 11 की 0.004, 20 की 0.025, 21 की 0.025 है0 भूमि पर मौका पर चालू रास्ता को रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। तहसीलदार को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना